भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4283

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2020 को दिया जाना है ।

विद्युत की बढ़ती मांग

4283. श्री बल्ली दुर्गा प्रसाद रावः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जैसाकि 2018 से 2040 के बीच विद्युत की मांग में तीन गुनी वृद्धि होने का अनुमान है, सरकार द्वारा इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ख) क्या सस्ती बिजली के अतिरिक्त सरकारी विद्युत संयंत्रों की अदक्षता, पारेषण में कम निवेश, बिजली की कम कीमत, वितरण कम्पनियों को अत्यधिक नुकसान, भूजल स्तर का नीचे जाना भारत के विद्युत उत्पादन क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियां हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने के प्रस्ताव हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क): केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित 19वीं इलैक्ट्रिक पॉवर सर्वे (ईपीएस) रिपोर्ट के अनुसार, ऊर्जा के मामले में विद्युत की मांग में वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2036-37 तक 231 प्रतिशत तक और व्यस्ततम मांग के मामले में 237 प्रतिशत तक वृद्धि होने की संभावना है।

वर्ष 2018 में अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत योजना (उत्पादन) के अनुसार, वर्ष 2026-27 के अंत तक अखिल भारतीय विद्युत उत्पादन संस्थापित क्षमता 6,19,066 मेगावाट प्रक्षेपित है जिसमें परम्परागत एवं नवीकरणीय दोनों स्रोतों से उत्पादन शामिल है। इस प्रक्षेपित संस्थापित उत्पादन क्षमता से 19वें इलैक्ट्रिक पॉवर सर्वे द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए प्रक्षेपित मांग को पूरा किए जाने की संभावना है। प्रौद्योगिकी तेजी से बदल रही है और उसी प्रकार उत्पादन मिश्र में भी बदलाव आ रहे हैं। विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत के भंडारण के संबंध में, वर्ष 2026-27 के लिए इष्टतम उत्पादन मिश्र प्रौद्योगिकी और अन्य विकास पर निर्भर करेगा।

(ख): भारत ऊर्जा की कमी वाले देश से विद्युत आधिक्य देश बन गया है। चालू वर्ष 2019-20 (फरवरी, 2020 तक) के दौरान देश की 183 गीगावाट की व्यस्ततम मांग की तुलना में विद्युत उत्पादन संस्थापित क्षमता 369 गीगावाट है। हमने देश भर में विद्युत के स्थानांतरण के लिए पर्याप्त पारेषण प्रणाली विकसित की है। देश में विद्युत उत्पादन क्षेत्र के सामने मुख्यत: विद्युत वितरण यूटिलिटियों की अधिक हानि के कारण डिस्कॉमों की खराब वित्तीय स्थिति के कारण चुनौतियां आ रही हैं। डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) और दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) जैसे विभिन्न सुधार उपाय किए हैं।

उपभोक्तओं की अलग-अलग श्रेणियों के लिए विद्युत टैरिफ का निर्धारण राज्य आयोगों द्वारा राज्य उत्पादन संयंत्रों से विद्युत खरीद की लागत सहित सभी लागतों पर विचार करने के बाद किया जाता है। विद्युत अधिनियम की धारा 65 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकारें राज्य आयोगों द्वारा निर्धारित टैरिफ पर उपभोक्ताओं को सब्सिडी दे सकती है। बिजली के निरर्थक उपभोग के कारण भू-जल के क्षरण के मुद्दे को केंद्र सरकार द्वारा जारी टैरिफ नीति में मान्यता दी गई है। यह उपभोक्ताओं से उपयुक्त प्रयोक्ता प्रभारों को वसूलने की जरूरत को मान्यता देती है। यह प्रावधान करती है कि विद्युत की सब्सिडी दरों को खपत के पूर्व निर्धारित स्तर तक ही अनुमति दी

जानी चाहिए। जिसके बाद सेवा की कार्यक्षम लागत प्रतिबिंबित करने वाले टैरिफ को उपभोक्ताओं से वसूला जाना चाहिए।

****